फर्द अहकामे

प्रकरण सं0 126/2024

श्री...............सरोज...................... बनाम श्री............गौतम..............................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
13/5/25	2.13.25 आदेश से पेश्तर यह है कि प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी स. 01 से लगायत 07 एक ही परिवार के व्यक्ति होकर हरिशंकर ब्राह्मण पुत्र सोनाथ ब्राह्मण के वारिस होकर शामिल शरीक रहते चले आ रहे है तथा प्रतिवादी सं. 01 से 04 हरिशंकर जी पुत्र है व प्रतिवादी सं. 6 व 7 हरिशंकर जी की पुत्रियां है तथा प्रतिवादी सं. 05 हरिशंकर जी के पुत्र नारायण लाल की पत्नी है, प्रार्थीगण प्रतिवादी सं. 01 के पुत्र व पुत्रियां है तथा प्रार्थीगण हरिशंकर जी के पोत्र व पोत्री है।2– यह है कि ग्राम सियार पटवार हल्का आमली भू.अभि.नि. मंगरोप तहसील हमीरगढ़ के बैरून हल्के में खाता संख्या नया 168 आराजी संख्या 170,171,176,182, 183,230,236,237 ,238,239,240,241,242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 258, 259, 280, 282, 284, 524 व 530 कुल किता 27 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा 7.9033 हैयक्टर एवं खाता संख्या नया 169 की आराजी संख्या 525, 712/525 कुल कीता 02 (1.2645 हैयक्टर) व खाता संख्या 278 के खसरा संख्या 526 (2.8325 हैयक्टर) खाता संख्या 169 व 278 का कुल रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा अवस्थित हो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के खातेदारी के नाम से अभिलिखित होकर चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजियात पुश्तैनी होकर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 को विरासत से श्री हरिशंकर शर्मा व उनकी पत्नी दाखी देवी से प्राप्त हुई है उक्त वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का 1/14 1/14 हक व हिस्सा निहित चला आ रहा है किन्तु प्रार्थीगण प्रतिवादी सं. 01 के पुत्र–पुत्रिया होने से प्रार्थीगण का भी उपरोक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 01 के हक व हिस्से पर 1/56, 1/56 प्रत्येक का हक व हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजियात को आगे वाद में विवादित आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा। यह है कि विवादित आराजियात प्रार्थीगणएवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की पुश्तैनी एवं पैतृक आराजियात है जिसमें प्रार्थीगण का भी प्रतिवादी संख्या1 के हिस्से से जन्म से ही हक व अधिकार निहित है किन्तु प्रार्थीगण के पिता श्री गौतम जी को विवादित आराजियात विरासत से प्राप्त हुई है एवं	

नम्बर व
अहकाम
हुक्त की
में जारी

प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 01 जायंदा संतान है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने हिस्से से अधिक आराजियात प्रतिवादी संख्या 08 कस्तूरी देवी को गलत एवं अवैध तरीके से विक्रय कर दी गई जबकि उक्त हक हिस्से में हम प्रार्थीगण का जन्म से ही 1/56, 1/56 हक अधिकार विरासतन निहित है। यह है कि प्रार्थीगण के दादाजी श्री हरिशंकर जी एवं दादी श्री दाखी देवी के निधन के पश्चात् हम प्रार्थीगण का भी जन्म से उक्त आराजियात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके समस्त प्रथम श्रेणी वारिसान के नाम पर समान हक व हिस्से से कानूनन अभिलिखित की जानी चाहिये थी व है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने जानबूझकर विवादित आराजियात को अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 08 कस्तूरी देवी को बेचान कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त पुश्तैनी विवादित आजियात को अकेले विकय करने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि प्रार्थीगण का जन्म से उनकी दादाजी की सम्पति में हक अधिकार है तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने अवैध तरीके से उक्त वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादी संख्या 08 को विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय के आधार पर प्रतिवादी संख्या 08 ने स्वयं का नाम प्रार्थीगण के पिता श्री गौतम के स्थान पर जमाबन्दी में अंकित करवा दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 01 श्री गौतम अकेले को बेचने का कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत श्री हरिशंकर एवं श्रीमती दाखी देवी के विधिक उत्तराधिकारी है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 श्री गौतम द्वारा प्रतिवादी संख्या 08 कस्तूरी देवी को किया गया विक्रय पत्र अवैध एवं शून्य है। प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 01 श्री गौतम के विधिक वारिसान होकर वादग्रस्त आराजियात के 1/56, 1/56 अपने-अपने पर हक व हिस्से से काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यह है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 08 ने प्रार्थीगण के विवादित आराजियात में निहित उसके हक व हिससे से जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास किया तब प्रतिवादी संख्या 08 ने हमे कहा कि उक्त आराजियात तो हमने तो गौतम जी से कय कर ली है तब हम प्रार्थीगण ने दिनांक 31.05.2024 को जमाबन्दी नकल ली तब जानकारी में आया कि प्रार्थीगण के पिता के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 08 कस्तूरी देवी ने अपने नाम पर नामान्तरण खुलवा लिया तथा प्रतिवादी संख्या 08 ने प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान पर राजस्व

PDF Scanner ACE Scanner

प्रकरण सं0

श्री..... बनाम श्री.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
	रेकार्ड में नाम दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त अवैध विक्रय पत्र करने का कोई अधिकार नहीं था जिस कारण प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वादपत्र वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया है। यह है कि विवादित आराजियात गलत एवं अवैध तरीके से तन्हा प्रतिवादी संख्या 08 के नाम पर अभिलिखित होने से वे कभी भी विवादित आराजियात को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित कर सकते है अथवा प्रार्थीगण को विवादित आराजियात के हक व हिस्से से जबरन बेदखल कर सकते है जिसका प्रतिवादी संख्या 08 को कोई हक व अधिकार नहीं है प्रार्थीगण को जानकारी होते ही दिनांक 05.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 08 को समझाने पर भी वे नहीं मानी लड़ाई झगड़े हेतु आमादा हो गई है साथ ही विवादित आराजियात को ही हस्तान्तरित करने की धमकी देती है इस कारण प्रतिवादी संख्या 08 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 08 विवादित आराजियात को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करें करावे तथा प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजियात के हक व हिस्से के निरंतर किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दंखलदाजी हस्तक्षेप बाधा आदि उत्पन्न नहीं करें करावें न उक्त हक व हिस्से वादिया को जबरन बेदखल ही करें करावें। यह है कि उक्त अनवान का एक वादपत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया गया है जो काफी ठोस एवं मजबूत तथ्यों पर आधारित होने से अवश्यमेव स्वीकार होकर डिकी होवेगा किन्तु वाद के निस्तारण में समय लगेगा। यह है कि प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे विवादित आराजियात को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित कर देंगे जिससे जो क्षति प्रार्थीया को होवेगी उसकी क्षतिपूर्ति का कोई मापदण्ड नहीं हो सकेगा।यह है कि प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 8 विवादित आराजियात को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करें करावे तथा प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजियात के 1/56 हक व हिस्से के निरंतर किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजा दंखलदाजी हस्तक्षेप बाधा	

PDF Scanner ACE Scanner

फर्द अहकामे

प्रकरण सं0

श्री..... बनाम श्री.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्त की में जा
	आदि उत्पन्न नहीं करें करावें न उक्त हक व हिस्से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल ही करें करावें। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा सतुंलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि से विपक्षीगण द्वारा बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। **—::आदेश::—** अतः आदेश दिया जाता है सरहद ग्राम सियार पटवार हल्का आमली भू.अभि.नि. मंगरोप तहसील हमीरगढ़ के बैरून हल्के में खाता संख्या नया 168 आराजी संख्या 170,171,176,182, 183,230,236,237 ,238,239,240,241,242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 258, 259, 280, 282, 284, 524 व 530 कुल किता 27 रकबा 31 बीघा 05 बिस्वा 7.9033 हैयक्टर एवं खाता संख्या नया 169 की आराजी संख्या 525, 712/525 कुल कीता 02 (1.2645 हैयक्टर) व खाता संख्या 278 के खसरा संख्या 526 (2. 8325 हैयक्टर) खाता संख्या 169 व 278 का कुल रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद संख्या 30/2024 के निस्तारण तक जारी की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़ (राज.)	